बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योoलेo3 / 3–6 / 2023– / योoविo,पटना,दिनांक फरवरी, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हo), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत योजना भवन, भोजपुर, आरा के जीर्णोद्वार एवं मरम्मती कार्य हेतु कुल ₹ 14,99,000 / – (चौदह लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत योजना भवन, भोजपुर, आरा के जीर्णोद्वार एवं मरम्मती कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, भोजपुर, आरा की तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 14,99,000 / – (चौदह लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र पर जिला योजना पदाधिकारी, भोजपुर के ज्ञापांक 739 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं आवंटन की मांग की गयी है। तदालोक में विपत्र कोड–35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2702–लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु निम्नांकित सारणी अंतर्गत नाम के सम्मुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए ₹ 14,99,000 / – (चौदह लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	राशि
1	जिला योजना कार्यालय, भोजपुर, आरा	**आरा समाहरणालय परिसर स्थित योजना भवन के मरम्मती एवं जीर्णोद्वार कार्य।**	₹ 14,99,000 / –
कुल			₹ 14,99,000 / –

(चौदह लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र।

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 मांग संख्या–35, मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–094–अन्य स्थापनाएँ, उप शीर्ष–0109–योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में विपत्र कोड– 35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2702–लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति अंतर्गत विकलनीय होगा जिसके अन्तर्गत बजट उपबंध है।

3. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, भोजपुर, आरा के पत्रांक 1095 दिनांक 15.04.2025 से प्राप्त तकनीकी अनुमोदन के उपरांत जिला योजना पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के ज्ञापांक 739 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं 3016 दिनांक 22.12.2025 के आलोक में आवंटन की स्वीकृति दी जा रही है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी, भोजपुर, आरा होंगे।

5. उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नही किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होगें।

7. राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

8. संबंधित जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता प्रत्येक माह योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–

(डॉ0 नित्यानन्द सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–6/2023– /यो0वि0,पटना,दिनांक फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–6/2023– 1492-9/ /यो0वि0,पटना,दिनांक 13 फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना प्रमंडल, पटना/जिला योजना पदाधिकारी,भोजपुर, आरा/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, भोजपुर, आरा/विभागीय बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभाग के साईट पर अपलोड करा दें।

13.2.26

सरकार के उप सचिव